

1 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 74/15 एवं 75/2015

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

समक्ष- वीरेन्द्र सिंह राजपूत

आप0 पुनरीक्षण याचिका क. 74/2015

संस्थापन दिनांक - 01.04.2015

1. श्रीमती रानी पत्नी जाविद, उम्र 22 वर्ष
2. साहिवा पुत्र जाविद, उम्र 6 वर्ष।
3. भूरे स्या पुत्र जाविद, उम्र 3 वर्ष, नावालिग सरपरस्त
मौ रानी पत्नी जाविद। निवासीगण द्वारिकापुरी मौ, जिला
भिण्ड म0प्र0

.....पुनरीक्षणकर्तागण

// विरुद्ध //

जाविद शाह पुत्र मशूर अली, उम्र 24 वर्ष, निवासी
कुम्हरपुरा थाना मुरार, जिला ग्वालियर म0प्र0

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा श्री आर.सी. अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री के0पी0राठौर अधि0

आप0पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 75/2015

संस्थापन दिनांक 23.03.2015

जाविद शाह पुत्र मशूर अली, उम्र 24 वर्ष, निवासी
कुम्हरपुरा थाना मुरार, जिला ग्वालियर म0प्र0

.....पुनरीक्षणकर्ता

// विरुद्ध //

1. श्रीमती रानी पत्नी जाविद, उम्र 22 वर्ष
2. साहिवा पुत्र जाविद, उम्र 6 वर्ष।
3. भूरे स्या पुत्र जाविद, उम्र 3 वर्ष, नावालिग सरपरस्त
मौ रानी पत्नी जाविद। निवासीगण द्वारिकापुरी मौ,
जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।

प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण द्वारा श्री आर.सी. यादव अधि0

आ-दे-श

(आज दिनांक 06/09/2017 को पारित किया गया)

नोट- उभयपक्ष की ओर से उक्त दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड (श्री केशवसिंह) के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 80/2010 (श्रीमती रानी बगैरह वि० जाविद शाह) में पारित आदेश दिनांक 03.03.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। उक्त दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं का निराकरण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है। मूल आदेश पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 74/2015 में किया जा रहा है तथा आदेश की सत्यप्रतिलिपि पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 75/2015 में रखी जावे।

01. पुनरीक्षणकर्ता श्रीमती रानी बगैरह द्वारा आलौच्य आदेश को चुनौती देते हुए निर्धारित भरण-पोषण को अपर्याप्त मानते हुए भरण-पोषण की राशि बढ़ाए जाने की प्रार्थना की है। जबकि पुनरीक्षणकर्ता जाविद शाह ने पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश में रानी बगैरह को भरणपोषण की पात्र न होने का आधार लेते हुए भरण-पोषण का आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 74/2015 :-

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संक्षेप में पुनरीक्षणकर्ता रानी बगैरह की ओर से आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 125 जा०फौ० का प्रस्तुत किया था जिसमें आशय की प्रार्थना की गई थी कि आवेदिका रानी का विवाह प्रतिपुनरीक्षणकर्ता जाविद शाह के साथ मुस्लिम रीति रिवाज अनुसार दिनांक 23.04.2007 को कस्बा मौ में सम्पन्न हुआ था और शादी के कुछ समय पश्चात् आवेदिका को उसके पति व परिवार वालों द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल व बीस हजार रुपए की मांग कर परेशान किया जाने लगा और उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। आवेदिका एवं अनावेदक के संसर्ग से आवेदक क्रमांक 2 व 3 का जन्म हुआ था जो कि पुनरीक्षणकर्ता के साथ निवास करते हैं। उकसे पास अपने एवं बच्चों के भरण पोषण की कोई

3 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 74/15 एवं 75/2015

व्यवस्था नहीं है और अनावेदक/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ट्रैक्टर मैकेनिक का काम कर 6000/- रूपए प्रतिमाह आय अर्जित करता है। अतः पुनरीक्षणकर्तागण/आवेदकगण को प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक से 5000/- रूपए प्रतिमाह भरणपोषण की राशि दिलाए जाने की प्रार्थना अधीनस्थ न्यायालय में की गई थी जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए आवेदिका क्रमांक 1 को प्रतिमाह भरण पोषण के रूप में 1000/- रूपए एवं आवेदिका क्रमांक 2 व 3 को प्रतिमाह 500/- 500/- रूपए भरणपोषण की राशि दिलाए जाने का आदेश दिया गया था।

03. पुनरीक्षणकर्तागण रानी बगैरह की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 74/15 मुख्य रूप से इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 03.03.2015 को विधि और तथ्यों के विपरीत होना व्यक्त करते हुए यह व्यक्त किया अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके भरणपोषण की राशि दिलाई गई है, जबकि बढ़ती हुई महगाई को देखते हुए आवेदकगण को दिलाई गई भरणपोषण की राशि अत्यधिक कम है जिसे निरस्त करते हुए भरणपोषण की राशि बढ़ाकर आवेदक क्रमांक 1 को 2000/- रूपए प्रति माह एवं आवेदक क्रमांक 2 व 3 को 1500/- 1500/- रूपए प्रतिमाह दिलाए जाने की प्रार्थना की है।

04. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से व्यक्त किया गया कि आवेदिका अपनी मर्जी से स्वेच्छया पूर्वक अपने माता पिता के पास रह रही है और जिसे कि उसके द्वारा मुस्लिम शरीयत के अनुसार तीन वार तलाक दे दिया है इस कारण वह भरण पोषण राशि अनावेदक से प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। पुनरीक्षणकर्तागण की पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 75/2015 :-

05. पुनरीक्षणकर्ता जाविद की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 125

4 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 74/15 एवं 75/2015

जा0फौ0 वास्ते भरणपोषण दिलाए जाने बावत् प्रस्तुत किया गया था, जिसे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए आवेदक क्रमांक 1 को 1000/- रूपए एवं आवेदक क्रमांक 2 व 3 को क्रमशः 500/- 500/- रूपए प्रतिमाह भरण पोषण की राशि दिलाए जाने का आदेश दिया गया है। जिससे व्यथित होकर यह वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

06. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण याचिका में यह आधार लिए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश राजनियम एवं पत्रावलि के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। आवेदिकागण के कोई वाद कारण भी उपत्पन्न नहीं हुआ है। उसके द्वारा अपने समर्थन में जो गवाही प्रस्तुत की गई है उससे पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रतिपुनरीक्षणकर्ता क्रमांक 1 के मध्य तलाक होना पूर्णतः सिद्ध किया गया है, उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। आवेदिका बिना किसी कारण के अपने माता पिता के पास रह रही है। आवेदिका भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश निरस्त करने का निवेदन किया है।

07. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से अधीनस्थल न्यायालय के आलौच्य आदेश को विधि विधान के अनुरूप होना व्यक्त करते हुए उसमें हस्तक्षेप न करने का निवेदन किया है। साथ ही यह निवेदन किया कि वर्तमान परिवेश एवं बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश में दिलाई गई भरणपोषण की राशि अत्यधिक कम है। अतः उसे बढ़ाए जाने की प्रार्थना की है।

08. उक्त दोनों ही याचिकाओं के संबंध में उभयपक्ष की ओर से उनके अधिवक्तागण श्री के0पी0राठौर एवं आर.सी. यादव के तर्क श्रवण किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 80/2010 मु0फौ0 रानी वि0 जाविद के रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

09. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 80/2010 मु0फौ0 (रानी बगैरह वि0 जाविद) में पारित आदेश दिनांक 03.03.2015 विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है?
-----	--

॥ सकारण निष्कर्ष ॥

10. पक्षकारों के मध्य इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि आवेदिका रानी एवं अनावेदक जाविद शाह के मध्य विवाह सम्पन्न हुआ था। न ही पक्षकारों के मध्य इस तथ्य पर कोई विवाद है कि कुमारी साहिवा और भूरे शाह रानी एवं जाविद शाह की संतान है।
11. उभयपक्ष ने प्रमुख रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित भरणपोषण की राशि को चुनौती दी है।
12. उभयपक्ष की ओर से लिए गए आधार के संबंध में यदि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो रानी अ0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसके पति, सास, ससुर उससे दहेज में मोटरसाइकिल व बीस हजार रुपए मांगते थे और इसी बात के लिए परेशान करते थे। कुछ समय तक उसे इच्छे से रखा उसके बाद दहेज के लिए परेशान किया जिसका उसने दावा लगाया था, किन्तु उनका राजीनामा हो गया था और राजीनामे के बाद वह ससुराल चली गई थी, किन्तु अनावेदकगण ने पुनः उसकी मारपीट की और दहेज की मांग की, तब से वह अपने मायके में रह रही है। वह कोई काम नहीं करती है, जबकि उसका पति जाविद ट्रैक्टर का मिस्त्री है।
13. श्रीमती जुल्ला अ0सा0 2 ने अपने कथनों में श्रीमती रानी अ0सा0 1 के कथनों का समर्थन किया है, जबकि यदि इस संबंध में जाविद अना0सा0 1 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो उसकी पत्नी अपनी मर्जी से अपनी माँ के साथ महिला थाना ग्वालियर से

अपनी माँ के घर चली गई थी। उसने रानी को बुलाने के लिए काफी प्रयास किया, किन्तु वह नहीं आई, वह रानी के कहने पर ही अपने परिवार से अलग रहता था, फिर भी वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और वह तलाक के बाद भी रानी को अपने साथ रखने के लिए तैयार है।

14. अनावेदक की ओर से अपने आधार के समर्थन में प्र.डी. 1 लगायत 9 के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। प्र.डी. 6 का दस्तावेज अनावेदक द्वारा पुलिस महिला थाना पड़ाव में दिया गया आवेदन है, जिसमें अनावेदक ने अपनी पत्नी पर उसके परिवार वालों को दहेज में झूठा फसा देने की धमकी देने, बगैर बताए मायके जाना तथा आवेदिका के परिवार वालों द्वारा मारपीट के आरोप के संबंध में शिकायत की गई है। प्र.पी. 5 का दस्तावेज जो कि एक तलाकनामा है। अनावेदक जाविद ने अपनी पत्नी आवेदिका को तीन बार लिखित में तलाक दिया है। अनावेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में प्र.डी. 2 जो कि आवेदिका रानी का महिला थाना ग्वालियर में दिया गया कथन है जिसमें इस आशय के तथ्य लिखित हैं कि उसका पति जाविद अपनी माँ की बातों में आकर लड़ाई झगडा करता है तथा खाने पीने की व्यवस्था नहीं करता है।

15. अनावेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज से ही यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदक एवं अनावेदक के मध्य विवाद थे और इसी की बजह से दोनों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत की गई। हालांकि आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, किन्तु प्रकरण में जिस प्रकार अनावेदक स्वयं की ओर से लिखित तलाकनामा प्रस्तुत किया गया है तथा दोनों पक्षों के मध्य विवाद संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गए हैं उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदिका अनावेदक के द्वारा तलाक देने एवं विवाद के कारण अपने मायके में प्रथक रह रही है थी और ऐसी स्थिति में आवेदिका के पास अनावेदक से प्रथक रहने का पर्याप्त कारण दर्शित होता है।

7 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 74/15 एवं 75/2015

16. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी एवं अवयस्क संतान का भरण पोषण करने का दायित्व है, यदि पत्नी अपना भरणपोषण करने में सक्षम नहीं है। आवेदिका रानी की कोई आय हो ऐसा प्रकरण में दर्शित नहीं किया गया है, जबकि कुमारी साहिवा एवं भूरे शाह अनावेदक की संतान होकर अवयस्क है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आवेदकगण के भरणपोषण की नैतिक जिम्मेदारी अनावेदक की है।

17. अनावेदक की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है। अनावेदक ने अपने को ट्रैक्टर मैकेनिक होना एवं 8-10 हजार रुपए महीना कमाए जाने के तथ्य से इन्कार किया है, किन्तु यह महत्वपूर्ण है कि अनावेदक कलगभग 25-26 वर्षीय स्वस्थ युवक है और न्यूनतम रूप से अकुशल श्रेणी के श्रमिक के समान न्यूनतम आय अर्जित करने में सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में आवेदिका को 1000/- रुपए एवं आवेदक क्रमांक 2 व 3 जो कि अनावेदक की अवयस्क संतान है को 500/- 500/- रुपए भरणपोषण की राशि निर्धारित की है। वर्तमान परिदृश्य में न्यूनतम मजदूरी, प्रचलित महगाई दर, उभयपक्ष के सामाजिक स्तर को देखते हुए न्यायोचित प्रतीत होती है।

18. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश द्वारा अनावेदक से आवेदकगण को भरणपोषण का पात्र पाते हुए भरणपोषण की राशि दिलाए जाने का जो निष्कर्ष निकाला है वह साक्ष्य की समुचित मूल्यांकन पर आधारित होकर विधि के मान्य सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें पुनरीक्षणाधीन शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

19. परिणामतः पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश की पुष्टि की जाती है।

8 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 74/15 एवं 75/2015

20. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख में संलग्न की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)